

मुख्य बातें

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ सरकार की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते हैं। इस प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष कर के प्रशासन से संबंधित सभी पहलुओं पर यथा लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा सम्बद्ध नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों आदि के अनुपालन की प्राथमिक रूप से चर्चा की गई है। इस प्रतिवेदन में चार अध्याय सम्मिलित हैं जिनकी मुख्य बातों की चर्चा नीचे की गई है:

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2019-20 में संघ सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 10,50,686 करोड़ थीं, जिसमें वि.व. 2018-19 (₹ 11,37,718 करोड़) की तुलना में 7.6 प्रतिशत की कमी हुई। प्रत्यक्ष कर वि.व. 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 5.2 प्रतिशत था। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का भाग वि.व. 2018-19 में 54.7 प्रतिशत से घटकर वि.व. 2019-20 में 52.3 प्रतिशत हो गया।

वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में कमी के बावजूद, जारी किए गए प्रतिदायों में वि.व. 2018-19 की तुलना में वि.व. 2019-20 में 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटकों में से, निगम कर से संग्रहण वि.व. 2018-19 में ₹ 6.63 लाख करोड़ से 16.1 प्रतिशत घटकर वि.व. 2019-20 में ₹ 5.57 लाख करोड़ हो गया। आयकर से संग्रहण वि.व. 2018-19 में ₹ 4.62 लाख करोड़ से 4.0 प्रतिशत बढ़कर वि.व. 2019-20 में ₹ 4.80 लाख करोड़ हो गया।

गैर-निगमित निर्धारितियों की संख्या 3.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वि.व. 2018-19 में 6.20 करोड़ से बढ़कर वि.व. 2019-20 में 6.39 करोड़ हो गई। निगमित निर्धारितियों की संख्या 0.9 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए वि.व. 2018-19 में 8.46 लाख से घटकर वि.व. 2019-20 में 8.38 लाख हो गई।

बकाया मांग वि.व. 2018-19 में ₹ 12.3 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2019-20 में ₹ 16.2 लाख करोड़ हो गई। निवल संग्रहणीय मांग वि.व. 2018-19 में ₹ 14,593 करोड़ की तुलना में वि.व. 2019-20 में

₹ 38,734 करोड़ तक बढ़ गई। विभाग ने दर्शाया कि 97.6 प्रतिशत से अधिक की असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल है।

सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलों की संख्या वि.व. 2018-19 में 3.4 लाख से बढ़कर वि.व. 2019-20 में 4.6 लाख हो गई। इन मामलों में अवरूद्ध राशि वि.व. 2019-20 में ₹ 8.8 लाख करोड़ थी।

सीबीडीटी ने, विभाग द्वारा आईटीएटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा को क्रमशः ₹ 20 लाख से ₹ 50 लाख, ₹ 50 लाख से ₹ एक करोड़ और ₹ एक करोड़ से ₹ दो करोड़ तक बढ़ा दिया। कुल लंबित मामले वि.व. 2018-19 में 1.35 लाख से वि.व. 2019-20 में 1.24 लाख हो गए यानी मामलों में 8.1 प्रतिशत की मामूली कमी हुई थी।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 16, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भारत सरकार की सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करने तथा स्वयं की संतुष्टि के लिए कि नियमों तथा क्रियाविधियों को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा उचित आवंटन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया है तथा उनका विधिवत् पालन किया जा रहा है, का प्राधिकार प्रदान करती है।

हमने वि.व. 2019-20 के दौरान कुल 6,249 निर्धारण इकाईयों में से 1,888 की लेखापरीक्षा की थी तथा 16,193 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को जारी किया था। हमने आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पहले से ही जांच किए गए 805 निर्धारणों में भी त्रुटियां पाईं।

आयकर विभाग से उत्तर की प्रतीक्षा में 31 मार्च 2020 तक ₹ 1.31 लाख करोड़ के राजस्व प्रभाव वाली 54,177 लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां थीं।

हमने अगस्त 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान मंत्रालय तथा सीबीडीटी को 577¹ उच्च कीमत वाले मामले जारी किए जिसमें उसकी प्राप्ति के छह सप्ताह के अंदर उनका उत्तर मांगा गया। तथापि, हमने मंत्रालय/सीबीडीटी से केवल 43 उच्च कीमत वाले मामलों में उत्तर प्राप्त किए (जुलाई 2021)।

जिनमें से आयकर विभाग द्वारा ₹ 3,597.06 करोड़ के कर प्रभाव वाले 491 मामलों (सभी मामलों के 85 प्रतिशत) पर सुधारात्मक कार्यवाई या तो पूरा कर दिया गया था या शुरू की गयी थी।

1 दो वित्तीय वर्षों के लिए कम निर्धारण तथा अधिक निर्धारण दोनों पर अभ्युक्तियों वाली एक डीपी है, इसलिए प्रतिवेदन के अन्य स्थानों पर दो मामलों के रूप में स्वीकार किया गया है।

वि.व. 2019-20 के दौरान हमारे द्वारा मांगे गए 2,79,939 अभिलेखों (6.92 प्रतिशत) में से 19,388 आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे जिनमें से उसी निर्धारिती से संबंधित 1,488 अभिलेख (1,479 तमिलनाडु के) तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

विगत तीन वर्षों में, आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा के बताए जाने पर त्रुटियों में सुधार के लिए उठाई गई मांग से ₹ 525.98 करोड़ वसूल किए।

अध्याय III: निगम कर

हमने ₹ 12,476.53 करोड़ के कर प्रभाव सहित निगम कर से संबंधित 356 उच्च मूल्य वाले मामले इंगित किये। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जैसे.

- (क) निर्धारणों की गुणवत्ता (134 मामले);
- (ख) कर रियायतों/छूटों /कटौतियों का प्रशासन (157 मामले);
- (ग) चूकों के कारण निर्धारण से छूट गई आय (51 मामले) और
- (घ) कर/ ब्याज के अधिक प्रभार (14 मामले)।

उद्धृत 356 उच्च मूल्य वाले मामलों में से, हमने, ₹ 3,976.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर निर्धारणों में महत्वपूर्ण त्रुटियों/अनियमितताओं के 38 उदाहरणों को निर्दिष्ट किया। इस अध्याय में निर्दिष्ट की गई अनियमितताओं में शामिल हैं: ₹ 1,262.76 करोड़ के कर प्रभाव वाले, संचालनों के छठे वर्ष में 50 प्रतिशत के बजाय 100 प्रतिशत की अस्वीकार्य दर पर निर्धारिती को अधिनियम की धारा 10ए के अन्तर्गत कटौती की गलत अनुमति; ₹ 774.72 करोड़ के कर प्रभाव वाले विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षित निधि (एफसीटीआर) के अन्तर्गत शेष के रूप में बैंकिंग कंपनी के मामलों में आय का निर्धारण न करना; ₹ 155.36 करोड़ (ब्याज छोड़कर) के कर प्रभाव वाले ₹ 467.70 करोड़ के शेयर प्रीमियम के बजाय अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट पर कर के उदग्रहण के लिए चूक; तथा निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए टीडीएस के कारण ₹ 1.01 करोड़ के उपलब्ध क्रेडिट के बजाए ₹ 65.66 करोड़ के पूर्व प्रदत्त करों की गलत अनुमति तथा ₹ 95.04 करोड़ कर प्रभाव वाले ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियां।

अध्याय IV: आयकर

हमने ₹ 416.60 करोड़ के कर प्रभाव सहित आय कर के 222 उच्च मूल्य वाले मामले इंगित किये। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जैसे.

- (क) निर्धारणों की गुणवत्ता (166 मामले);
- (ख) कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन (18 मामले);
- (ग) चूकों के कारण निर्धारण से छूट गई आय (29 मामले) और
- (घ) कर/ ब्याज के अधिक प्रभार (9 मामले)।

उद्धृत 222 उच्च मूल्य के मामलों में से, हमने आयकर निर्धारण में महत्वपूर्ण त्रुटियों/अनियमितताओं के 39 उदाहरणों को निदर्शित किया है जिसमें ₹ 251.85 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। इस अध्याय में दर्शाई गई अनियमितताओं में शामिल हैं: ₹ 45.60 करोड़ के भुगतान नहीं किये गये करों का गलत अनुमोदन और ब्याज का गैर-उदग्रहण जिसमें ₹ 68.12 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था; देय तिथि के भीतर रिटर्न दाखिल न करने, कर का कम भुगतान और अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण गलत ब्याज का आरोपण जिसमें ₹ 21.60 करोड़ का कम ब्याज शामिल था; ₹ 26.44 करोड़ की अग्रेषित हानि की गलत अनुमति जिसमें ₹ 12.32 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था; और ₹ 115.53 करोड़ की सही देय मांग के स्थान पर ₹ 103.22 करोड़ की देय मांग की गलत गणना जिसमें ₹ 12.31 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।